न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र स्व. श्री शेर सिंह यादव, नि0 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039, प्र.अ./भू.अ./समाधान/न्या

GCMS No-2021/139

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी समाधान/न्याय/भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 15.5.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(101)सूकाअ/2021/882–886 दिनांक 19.5.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी समाधान/न्याय/भू0अभिलेख अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गयाः– 1. यह है कि मेरे द्वारा दिनांक 12.2.2021 जो दिनांक 16.2.2021 को जिला कलेक्टर स0मा0 को ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार मे भू.माफियो द्वारा सरकारी डेयरी पर अतिक्रमण व तोड फोड बाबत पर की गयी कार्यवाही एवं तहसीलदार खण्डार को भी प्रेषित शुद्वा उक्त परिवाद पर तैयार जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.2.2021 पटवारी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट मय जॉच रिपोर्ट की प्रति तथा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.2.2021 बाबत परिवादी अमरजीत सिंह पुत्र श्रवण सिंह द्वारा मार्च,2021 मे प्रस्तुत आपत्ति पत्र की प्रमाणित प्रति तथा उस आपत्ति पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति मय रिपोर्ट जॉच/मौका पर्चा की प्र.प्रति। 2. यह है कि 25.2.2021 को भोजराज शेखावत निवासी दौलतपुरा खण्डार द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्रेषित परिवाद बाबत 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही विरूद्व राजरानी, अनूप सिंह एवं इन्द्रजीत सिंह बाबत उक्त परिवाद एवं उक्त परिवाद पर प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट या कार्यवाही व जवाब की प्रमाणित प्रति। 3. (1)यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा 91 एलआरएक्ट मे दर्ज प्रकरण संख्या 185/21 गै.मु. तलाई विरूद्व रामचरण व रामजीलाल गुर्जर पुत्र लडडू का 22.2.21 व प्रकरण संख्या 186/21 गै0मु0 तालाब विरूद्व मांगीलाल पुत्र लडडू जाट व 187/21 बाबत गै0मु0 शमशान विरूद्व राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल तथा गै0मु0 रास्ता ख0न0 170 विरूद्व मांगीलाल जाट प्रकरण संख्या 362/20 पर अतिक्रमण हटाने बाबत की गयी कार्यवाही पत्राचार एवं आज तक अमल मे लायी गयी कार्यवाही व प्रकरण संख्या 186/2021 मे आरोपी मांगीलाल को दिनांक 30.4.21 के बाद जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट की प्र0प्रति तथा मु.न. 113/20 तथा 137/20 मे आरोपी रामचरण उर्फ मोटा गुर्जर के विरूद्व जारी गिरफ्तारी वारण्ट स्थाई 91एलआरएक्ट की प्रमाणित मय थाना खण्डार की रिपोर्ट आज दिन तक प्राप्त की प्रति। (2) यह है कि दिनांक 13.5.21 को 2.30 पी.एम. पर कमल पुत्र गिर्राज व प्रियंका पुत्र हरिबल्लभ जाट निवासी दौलतपुरा व अक्षयगढ नाबालिग शादी पर तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही व पाबंदी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति बाबत ई–मेल से मन परिवादी द्वारा डी.एम. स0मा0 को प्रेषित की प्रमाणित प्रति। 4. (1).तहसीलदार खण्डार के नोटिस क्रमांक/चुनाव/2020/219 दिनांक 11.9.2020 की प्रमाणित प्रति तथा नोटिस का जवाब सरपंच दौलतपुरा रामचरण द्वारा दिनांक 15.9.20 की प्र0प्रति। (2). माननीय राजस्व मण्डल के पत्रांक राम/भू.अ./शिकायत/प–29/2020/2698–99 दिनांक 12.5.20[illegible] के पत्रांक भू.अभि./20/211–12 दिनांक 15.4.20 पर तहसीलदार खण्डा[illegible] रिपोर्ट एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. स0मा0 के पत्रांक प.14/7/22/[illegible] दिनांक 26.11.20 की पालना में तहसीलदार खण्डार द्वारा प्र[illegible] प्रति। 5. यह है कि दिनांक 18.10.2007 को श[illegible] सिंह उर्फ शेरा द्वारा [illegible]वी गुर्जर ग्राम दौलतपुरा के पक्ष में तहसीलदार खण्डार ने [illegible]स्टर्ड विक्रय पत्र एवं [illegible]चन गुर्जर द्वारा श्रीमति शशीबाला जाट के पक्ष मे दिनांक 8.10.2008 को किये गये विक्रय पत्रो की प्रमाणित प्रति। 6. यह है कि अजीत शेखावत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 10.2.2017 को प्रेषित परिवाद विरूद्व भूपेन्द्र सिंह यादव की प्रमाणित प्रति मय जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। 7. यह है कि दिनांक 27.4.2021 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रेषित शुद्वा बाबत तहसीलदार खण्डार श्री देवी सिंह एवं छोटेलाल महावर गिरदावर व मूल सिंह पटवारी द्वारा गै0मु0 तालाब, तलाई,श्मशान एवं रास्ता की जमीन खुर्द बुर्द करने व सही 91एलआरएक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

में रिपोंट नही करने पर कार्यवाही बाबत पर की गयी कार्यवाही, जॉच रिपोर्ट एवं नियुक्त जॉच अधिकारी की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं परिवाद द्वारा श्रीमति राजरानी यादव जरिये भूपेन्द्र सिंह बाबत ख0न0 544/1 ग्राम दौलतपुरा दिनांक 12.2.2021 पर उपजिला कलैक्टर खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति जो आप एडीएम स0मा0 को प्रस्तुत शुद्वा है

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी न्याय/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी न्याय/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/21/1727 दिनांक 7.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,2,3(1)(2),4(1) व 6 की सूचना हेतु तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1604 दिनांक 3.6.2021 से 66/–रू शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक शुल्क जमा नही करवाया गया। बिन्दु संख्या 5 की सूचना पंजीयन से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 लागू नही होने के कारण उक्त सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट/12.10.2018 के अनुसरण मे पंजीयन नियमों मे जरिये चालान 460/–रू जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक/पंजीयन/21/77 दिनांक 7.6.21 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 7 की 4 पृष्ठों की सूचना प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 559 दिनांक 26.7.2021 से अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 1 की 4 पृष्ठों की सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 15.5.2021 में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,2,3(1)(2),4(1),5,6 की सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा शुल्क जमा करवाने बाबत अधिनियम की तय समय सीमा मे अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 7 की सूचना प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ द्वारा अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। किन्तु प्रभारी अधिकारी भू.अ. द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 4(2)की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः प्रभारी अधिकारी भू.अ. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु की सूचना 15 दिवस मे अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1,2,3(1)(2),4(1),6 की सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाहा गया शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करे तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना [illegible] नियमो के तहत उप पंजीयक खण्डार द्वारा चाहा गया शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करे। [illegible] के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल[illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

27/7/21
(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर